सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– **234**
17/03/2026

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा मैनुअल स्कैवेंजर निषेध एवं पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति, नालंदा की वर्ष 2026 की प्रथम बैठक का आयोजन जिला पदाधिकारी, नालंदा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ।

पटना 17 मार्च, 2026 :– बैठक में पुलिस अधीक्षक, नालंदा, जिला कल्याण पदाधिकारी, विशेष लोक अभियोजक, संबंधित थानाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के दौरान अधिनियमों के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा की गई तथा पीड़ितों को प्रदान की जा रही आर्थिक सहायता एवं लंबित मामलों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई।

जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि चालू वित्तीय वर्ष में अधिनियम के अंतर्गत 179 लाभुकों को प्रथम किस्त एवं 428 लाभुकों को द्वितीय किस्त के रूप में कुल 560.00 लाख रुपये की राशि वितरित की गई है। इसके अतिरिक्त, जिले में 64 पेंशनधारियों को मासिक पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।

बैठक में संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करते हुए पात्र पीड़ितों को समयबद्ध तरीके से सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए।